न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 09/2017 **(75 एल.आर.एक्ट)**

उनवान

1. शिम्भूदयाल पुत्र मूलचन्द जाति माली निवासी मोरड़ी की ढाणी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0 ।

..... अपीलांट

बनाम

1. तहसीलदार थानागाजी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0 ।

..... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :–
1. श्री लक्ष्मणसिंह पोसवाल अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री गणपतसिंह नरूका राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :– 08.06.2018

यह अपील विद्वान अति0 जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर के निर्णय दि0 12.06.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विवादित आराजी ख0 नं0 1603 रकबा 0.05 है0 किस्म गैर मुमकिन रास्ता पर अतिक्रमी अपीलांट ने सम्वत् 2071 फसल खरीफ में नाजायज कब्जा कर पक्की दीवार सीमेन्ट व पत्थर से निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया है । इसलिए यह अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत आदेश विरूद्ध उप तहसीलदार नारायणपुर दिनांक 20.1.2016 जिसके द्वारा अपीलांट को बेदखल किये जाने व शास्ति के आदेश पारित किये है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर दि0 12.06.2017 को अपीलांट की अपील खारिज कर दी जिस निर्णय दि0 12.06.2017 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब की जाकर विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस की शुरूआत करते हुए तहसीलदार एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर द्वारा पारित आदेशों का हवाला देते हुए

कथन किया कि सरकार ने अपीलांट को अतिक्रमी मानते हुए कहा कि अपीलांट ने विवादित आराजी ख0 नं0 1603 रकबा 0.05 है0 किस्म गैर मुमकिन रास्ता पर अतिक्रमी अपीलांट ने सम्वत् 2071 फसल खरीफ में नाजायज कब्जा कर पक्की दीवार सीमेन्ट व पत्थर से निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया है । इस पर अतिक्रमी के खिलाफ रेवेन्यू एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया और अपीलांट ने तहत न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब पेश करने का मौका चाहा जिस पर तहत न्यायालय ने अपीलांट को अतिक्रमी बेदखल कर दिया और शास्ति वसूल करने के आदेश दिये जिसके खिलाफ अपीलांट ने अपील न्यायालय अति0 जिला कलक्टर अलवर में पेश की जिस पर न्यायालय ने निर्णय दिनांक 3.8.2015 के द्वारा अपील स्वीकार करते हुए तहत न्यायालय को प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया कि विवादित आराजी की भूमि की पैमाईश कराकर अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जावें एवं पुनः मौका एवं रेकार्ड के आधार पर जांच कर नियमानुसार निर्णय पारित करें । परन्तु तहत न्यायालय ने उक्त निर्देशों का पालन ना करते हुए राजनैतिक दबाव में आकर बिना मौके का निरीक्षण किये और विवादित आराजी व अपीलांट की खातेदारी की आराजी की पैमाईश कराये बिना ही मनमाने तरीके से निर्णय पारित कर दिया ।

बहस जारी रखते हुए आगे कहा कि विवादित आराजी ख0 नं0 1603 के लगती हुई तरफ उत्तर की ओर आराजी ख0 नं0 1526 रकबा 1.21 है0 अपीलांट के कब्जे काश्त की खातेदारी की आराजी है जिसे उसने अपनी खातेदारी की आराजी जंगली जानवरों से सुरक्षा हेतु तरफ दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम पक्का डण्डा करीब 4–5 फुट ऊंचा व करीब 400 फुट लम्बाई का बना रखा है । अपीलांट ने पानी के लिए बोरिंग लगा रखी है जिसमें बिजली का कनैक्शन भी ले रखा है और अपने परिवार सहित निवास करता है । तहत न्यायालय ने बिना मौके पर कोई निरीक्षण किये तथा ना पटवारी से उक्त आराजी की पैमाईश करवाई और प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ अपीलीय निर्णय पारित कर दिया । उक्त निर्णय राजनैतिक रंजिश के की गई शिकायत पर किया गया है जो बिना किसी ठोस साक्ष्य के नहीं है । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय निरस्त करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

बहस में अपीलांट अभिभाषक ने यह भी कहा कि तहसीलदार ने अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर के आदेश की पालना भी नहीं कि, पुनः पैमाईस की जावें और अवहेलना करके आदेश पारित कर दिया जिसकी अपील स्वीकार नहीं की गई है ।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने जवाब में कथन किया कि विवादित आराजी की किस्म गै0मु0 रास्ता है तथा अपीलांट को गै0मु0 रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण का कोई अधिकार नहीं है । तहत न्यायालय द्वारा विवादित आराजी की पैमाईश कराकर अपीलीय निर्णय पारित किया है और अपीलांट ने अपनी खातेदारी की भूमि में विवादित आराजी की भूमि मिलाकर पक्का डण्डा करके मिला रखा है । इसलिए अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अपने निर्णय में सभी तथ्यों का वर्णन किया है ।

तहसीलदार ने सही निर्णय सुनाया है तथा अपीलीय न्यायालय ने भी सही निर्णय सुनाया है । अतः अपील खारिज की जावें ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार नारायणपुर के निर्णय दि0 20.1.2016 व प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय दि0 12.06.2017 का अवलोकन किया गया ।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । अपील के तथ्यों का अवलोकन किया । अपील में मुख्य बिन्दु यह उठाया है कि तहत अदालत अति0 जिला कलक्टर द्वितीय अलवर ने अपने पूर्व निर्णय दिनांक 3.8.2015 के द्वारा यह आदेश दिया था कि विवादित आराजी की पैमाईश कराकर अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए पुनः मौका व रेकार्ड के आधार पर जांच कर नियमानुसार निर्णय पारित करें परन्तु नायब तहसीलदार नारायणपुर ने पुनः निर्णय में न तो उक्त निर्देशों के तहत पैमाईश की है और न ही अन्य अतिक्रमियों के विरूद्ध कार्यवाही ही की है ।

अपीलांट का यह भी तर्क था कि ख0 नं0 1603 रकबा 0.05 है0 की पूरी पैमाईश की जावें जिसका भी अतिक्रमण है उन्हें बिना भेदभाव के सभी को हटाया जावें । अपीलार्थी का यह भी कहना है कि उनके खातेदारी के रकबे की भी पैमाईश की जावें ।

तहत न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.06.2017 में अपने पूर्व निर्णय दिनांक 3.8.2015 की पालना नहीं होना पाया जाता है जिसके अनुसार विवादित आराजी की पैमाईश एवं अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए पुनः मौका एवं रेकार्ड की जांच करके नियमानुसार निर्णय पारित करने का आदेश हैं ।

तहत न्यायालय ने अपने निर्णय दि0 12.6.2017 में अपने पुराने निर्णय में दिये गये निर्देशों का हवाला नहीं दिया जबकि अपीलांट अभिभाषक ने अपील में इस तथ्य को तहत न्यायालय एवं इस न्यायालय में उठाया है । अतः यह आवश्यक है कि अपीलांट को सुनकर विवादित आराजी के अतिक्रमण के संबंध में पुनः सुना जावें एवं विवादित आराजी की पैमाईश की जावें ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का यह मत है कि विवादित आराजी ख0 नं0 1603 रकबा 0.05 है0 का नायब तहसीलदार नारायणपुर सभी संबंद्ध पक्षकारों की उपस्थिति में मुस्तकिल बिन्दू से पैमाईश करें, मौका पर्चा तैयार करें तथा उपस्थितगण के हस्ताक्षर करावें । यदि उक्त रकबे पर अपीलांट सहित अन्य का भी अतिक्रमण पाया जाता है तो नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करें ।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है । विद्वान अति0 जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर का निर्णय दि0 12.06.2017 व उप तहसीलदार नारायणपुर के निर्णय दि0 20.01.2016 निरस्त किये जाते है तथा प्रकरण नायब तहसीलदार नारायणपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विवादित आराजी ख0 नं0 1603 एवं अपीलांट की खातेदारी ख0 नं0 1526 की पुनः पैमाईश उभयपक्षों की उपस्थिति में किसी मुस्तकिल बिन्दु से की जावें तथा जो भी अतिक्रमण पाया जावें

उसे नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए हटाया जावें । खर्चा अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 08.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

8/6/18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर